


## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर आदेश

क्रमांक ए/1912  
(तीन-18-180-75)

जबलपुर, दिनांक 21.4.2022

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/1777 दिनांक 08/4/2022 की कंडिका (ख) के क्रमांक 13 पर अंकित श्रीमती नीतू राजावत, सहायक ग्रेड-3, ग्वालियर का न्यायिक जिला स्थापना उज्जैन पर स्थानांतरण, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।


माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

  
(विवेक सक्सेना)  
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

पृ. क्रमांक ए/1913  
(तीन-18-180-75)

जबलपुर, दिनांक 21.4.2022

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर एवं उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. प्रशासनिक अधिकारी, जिला स्थापना अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. श्रीमती नीतू राजावत, सहायक ग्रेड-3, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
(विवेक सक्सेना)  
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)